MR. SPEAKER: That is a different thing. ..

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: But in the same statement he said it, I want to know whether he is going to take any stringent action in that regard.

MR. SPEAKER: That is not a point of order.

13.04 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED BAN ON EXPORT OF ONIONS.

श्री धर्म सिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं लोक सभा के नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

प्याज (ओनियन) की परदेशो मे निर्यात पर पाबन्दी लगाने से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के प्याज पैदा करने वाले किसानो को बहुत नुकसान हो रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रदश मे और इन म विशष कर उपलेटा, मायावदर, जामजोधपुर, धोराजी, जामकण्डोरणा, कुतियाणा, राणावाव, मांगरोल, पोरबन्दर, माणावदर, बंथली, लालपुर वगैरह तालुकाओ मे प्याज की बडी फसल हुई है। ये प्याज पैदा करने वाले किसान को 20 किलोग्राम प्याज पर करीब 4 रुपये की लागत तो-खर्च होती है।

अब प्याज बडे पैमाने पर बाजार मे आ रही है। अब प्याज ढाई और तीन रुपये के भाव से प्रति 20 किलोग्राम बिक रही है और प्रति दिन भाव कम हो रहे हैं, इस से प्याज पैदा करने वाले किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इस का मूल कारण यह कि भारत सरकार ने प्याज की प्रदेशों मे निर्यात के लिये पाबन्दी लगाई हुई है। इस वर्ष सिर्फ 10 हजार टन प्याज की निर्यात मंजूरी दी गई, है, यह बहुत कम है, इसलिये प्याज उत्पादन करने वाले किसानों की ओर से और मेरी ओर से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से प्रार्थना है कि प्याज की बड़े पैमाने पर परदेशो मे निर्यात करने की मंजूरी तुरन्त दे कर प्याज पैदा करने वाले गुजरात, सौराष्ट्र और सारे देश के किसानों की रक्षा करे।

प्याज एक नाजुक, कोमल सब्जी है। इस का स्टाक बहुत दिनो तक किसान नही रख सकते हैं। विदेशो मे भारत की और विशेषकर गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश की प्याज की बहुत मांग है। इसलिये इस संक्षिप्त वक्तव्य के अन्त में मैं वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे विदेशो मे प्याज निर्यात करने के लिये तुरन्त स्वीकृति दे :

(ii) SERVICE CONDITIONS OF ASSISTANT ENGINEERS ON DEPUTATION FROM C.P.W.D. TO P. & T. DEPARTMENT

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं भारत सरकार और सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूण मामला रखने जा रहा हू। 1963 मे सी.पी. डब्ल्यू. डी. के बहुत से एसिस्टेंट इन्जीनियर्स को पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट मे डेपुटेशन पर भेजा गया था। उन्हे वहां पर गये हुए 15 साल के लगभग हो रहे है इस बीच मै न उन्हे कोई प्रमोशन दिया गया है और न ही कोई डेपुटेशन एलाउन्स दिया गया। इस से भी ज्यादा हालत तब खराब हुई–जब 1963 के बाद जिन लोगो को वहां भेजा गया, उन को डेपुटेशन एलाउन्स भी मिला और प्रोमोशन भी मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगो का भाग्य अधर में लटका हुआ है। 1963 से लोग बिना किसी प्रोमोशन और बिना किसी एलाउंस के वहां पर काम कर रहे हैं। आज जब हम आम तौर पर इस तरह की शिकायत करते हैं कि हमारे आफिसर्स काम